मोबाईल नंबर

अधिवक्ता

...यालय उपखण्ड .... कठूमर (अलवर) राज.

...ल नं. 12/12/20 तारीख रजू ....

...वान मिला .... बनाम सरपंच ग्राम पंचायत गंजपुर कठूमर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.9.2020	वकील अपीलान्ट उपस्थित। आज यह अपील अपीलान्ट की ओर से वकील श्री कुपाचमल गुर्जर एड० ने पेश की। कार्यालय रिपोर्ट की गई। अपील दर्ज पंजिका हो। रेस्पोंडेन्ट जरिये सम्मन/नोटिस तलब होकर पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 19/10/2020 को पेश हो। SDM	332 29.3.22
19/10/20	कुमार कौशिक SDO/P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 30/4/21 को पेश हो।	
30/4/21	कुमार कौशिक SDO/P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 4/5/21 को पेश हो।	
3/8/21	कुमार कौशिक SDO/P.O. [illegible] पत्रावली दिनांक 4/4/22 को पेश हो।	
4/4/22	वकील अपीलान्ट [illegible] उपस्थित। [illegible] 18.9.20 वास्ते तलबी [illegible] 17/5/22	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
15/11/22	पत्राबली पेश हुई। वकील अपीलान्ट उपस्थित। वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर ~~[illegible]~~ निर्णय पृथक से लिखाया जाकर आज सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील जिला अभिलेख भण्डार हो सुनाया Sd/- उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०	

न्यायालय उपखण्डअधिकारीकठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखन सिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व अपील संख्या 12 / 12 / 2020

वउनवान

1. विमला पुत्री विजेन्द्र पत्नी अर्जुन जाति जाट निवासी नूरपुर तहसील कठूमर जिला अलवर

------अपीलाण्ट

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत गंजपुर-नूरपुर पंचायत समिति कठूमर जिला अलवर

------रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व इन्तकाल संख्या 762 वाके ग्राम नूरपुर आज्ञा दिनांक 06.02.2006 ग्राम पंचायत गंजपुर-नूरपुर

उपस्थित :-श्री कृपादयाल गुर्जर एडवोकेट-अपीलाण्ट की ओर से

निर्णय दिनांक 15.11.2022

संक्षिप्त तथ्य अपील अपीलाण्ट इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 747, 35, 10, 165, 173, 180, 590, 117, 266, 384, 285, 289, 291, 293, 717, 528, 138, 262, 263, 265, 286, 287, 167, 168, 110,111, 118, 134, 135, 136, 139, 140, 144, 174, 264, 7, 8, 9, 5, 6, 288 नूरपुर तहसील कठूमर में वाके है। उक्त आराजी मुताविक हिस्सा अपीलाण्ट के पिता बिजेन्द्र की खातेदारी में दर्ज थी। अपीलाण्ट के पिता बिजेन्द्र का स्वर्गवास हो चुका है। अपीलाण्ट के पिता बिजेन्द्र के स्वर्गवास हो जाने पर उनका विरासत इन्तकाल संख्या 762 पटवारी हल्का ने मृतक के सभी वारिसान के सही नाम की सही जांच किये विना खिलाफ कानून व खिलाफ मौका विधि विरूद्व व मनमाने तरीक से अपीलाण्ट का नाम विमला के स्थान पर विमलेश दर्ज कर

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

दिया। जव कि अपीलाण्ट का सही नाम विमलेश है। जिस इन्तकाल पर कानूनौ ने अंकन सही होना लिख दिया व पटवारी हलका ने दोष पूर्ण इन्तकाल को दिनांक 06.02.2006 को रेस्पो0 के समक्ष बास्ते फैसल पेश किया जो इन्तकाल ग्राम पंचायत ने अपीलाण्ट को विना सुने विना नोटिस दिये खिलाफ कानून व खिलाफ मौका स्वीकार कर दिया। जिस दोश पूर्ण इन्तकाल का जमाबन्दी में उसी अनुसार अमल हो गया। जवकि अपीलाण्ट का नाम विमलेश न होकर विमला है। पटवारी ने इन्तकाल में अपीलाण्ट का नाम मनमाने तरीक से विमला के स्थान पर विमलेश अंकित कर रेस्पो0 से स्वीकार कराकर व रेस्पो0 ने अपीलाण्ट को विना सुने फैसल कर भारी कानूनी भूल की है। इस वजह से रेस्पो0 का आदेश दिनांक 06.02.2006 दोश पूर्ण होने से निरस्त किये जाने व इन्तकाल से प्रभावित आराजी में अपीलाण्ट का नाम विमलेश के स्थान पर विमला दर्ज किये जान हेतु अपील अदालत श्रीमान में पेश की गई है। गलत इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्ट को दिनांक 01.08.2020 को उस समय हुई जव अपीलाण्ट अपनी खातेदारी की आराजी पर केडिट कार्ड बनवाने की फाइल बनवाने पटवारी हल्का के पास गया। उससे पहले उक्त दोश पूर्ण इन्तकाल की जानकारी अपीलाण्ट को नहीं हुई। जानकारी होने पर अपीलाण्ट ने दोश पूर्ण इन्तकाल की दिनांक 03.08.2020 को नकल लेकर रेस्पो0 से उक्त गलत नाम को सही करने वावत कहा तो रेस्पो0 ने इन्कार कर दिया। दिनांक 06.02.2008 से दिनांक 01.08.2020 तक की देरी को कण्डोन किये जाने का उचित कारण है। अतः अपील के साथ अपीलाण्ट ने धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया व अपील पेश करने में हुई देरी का उचित कारण बताते हुये देरी को कण्डोन कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील अन्दर मियाद सुमार किये जाने का निवेदन किया।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलव किया गया। रेस्पो0 वावजूद तामील दिनाक 21.10.2022 को उपस्थित नही आया।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अपीलाण्ट ने अपनी अपील के साथ नामान्तकरण संख्या 762 नकल जमाबन्दी वाके ग्राम नूरपुर तथा अपीलाण्ट का पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशनकार्ड की छाया प्रति पेश की है जो शामिल पत्रावली है।

बहस सुनी गई। पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड व नामान्तकण व छाया प्रति आधार का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी वहस के दौरान मुख्य रूप से अपनी अपील में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर इन्तकाल संख्या 762 वाके ग्राम नूरपुर में अपीलाण्ट का विमलेश के स्थान पर विमला दर्ज करने का निवेदन किया। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट की वहस पर मनन किया। अपील के निर्णय से पहले हमें प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र का निस्तारण करना है। अपीलाण्ट ने उक्त दोश पूर्ण इन्तकाल की ज़ानकारी पटवारी हल्का के बताने पर होना जाहिर किया है। ऐसे मामलों में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा देरी के विन्दु पर नरमीका रूख अपनाया है।हस्तगत प्रकरण मेंअपील में देरी के विन्द पर नरम रूख अपनाते हुये धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलाण्ट अन्दर मियाद सुमार की जाती है। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल संख्या 762 वाके ग्राम नूरपुर मे अंकित बिजेन्द्र के सजरा में अपीलाण्ट का नाम विमलेश पुत्री अंकित है। जमाबन्दी में भी इन्तकाल से प्रभावित आराजी में अपीलाण्ट का नाम विमलेश अकित है। जवकि अपीलाण्ट ने अपने सही नाम के सम्बन्ध में पहचान पत्र, आधार कार्ड, भामाशाह, राशन कार्ड की छाया प्रति पेश की है जिनमें अपीलाण्ट का नाम विमला दर्ज है।अतः प्रार्थीया का नाम विमलेश न हो कर विमला प्रमाणित है। पटवारी हल्का ने इन्तकाल संख्या 762 वाके ग्राम नूरपुर भरते समय व रेस्पो0 द्वारा स्वीकार करते समय अपीलाण्ट को विना सुने विना वुलाये विमला के स्थान पर विमलेश गलत दर्ज किया जाना सावित है। पटवारी हल्का को अपीलाण्ट का सुनकर ही प्रार्थीया का नाम पिता के विरासत इन्तकाल में पुत्री विमला दर्ज करना चाहिए था।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर इन्तकाल संख्या 762 वाके ग्राम नूरपुर से प्रभावित आराजी खसरा नम्बर 747, 35, 10, 165, 173, 180, 590, 117, 266, 384, 285, 289, 291, 293, 717, 528, 138, 262, 263, 265, 286, 287, 167, 168, 110,111, 118, 134, 135, 136, 139, 140, 144, 174, 264, 7, 8, 9, 5, 6, 288 नूरपुर तहसील कठूमर पर अपीलाण्ट का नाम विमलेश के स्थान पर विमला पुत्री बिजेन्द्र दर्ज किये जाने के आदेयश तहसीलदार कठूमर को दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। अपील अपीलाण्ट फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो कर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

लाखन सिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०

आज दिनांक 15.11.2022 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखन सिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर) राज०